भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3600
दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीजीएचएस, दिल्ली में पेंशनभोगियों की लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति राशि

3600. श्री शेर सिंह घुबायाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी, 2023 से सीजीएचएस के दिल्ली में सभी क्षेत्रों में पेंशनभोगियों, सीजीएचएस लाभार्थियों की लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ख) सीजीएचएस नागरिक चार्टर के तहत ऐसे मामलों के निपटान के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है;
(ग) उपर्युक्त मामलों में विलंब के क्या कारण हैं; और
(घ) सीजीएचएस द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है कि भविष्य में पेंशनभोगियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामलों का शीघ्र निपटान किया जाए ताकि उन्हें कम से कम असुविधा हो और उनकी बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किया जा सके?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) जनवरी, 2023 से दिल्ली में सीजीएचएस के सभी जोनों में लंबित सीजीएचएस लाभार्थियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामलों (एमआरसी) की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	दिल्ली में सीजीएचएस के सभी जोनों में लंबित मामलों की संख्या
2023	38
2024	227
2025	621
कुल	886

(ख) और (ग): चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामलों के निपटान के लिए निर्धारित समय-सीमा मामला प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिन है। हालाँकि, कुछ मामले प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं जैसे स्थायी तकनीकी समिति की मंजूरी, आवश्यक दस्तावेजों में कमियों, बजटीय बाधाओं आदि के कारण लंबित रहते हैं।

(घ): पेंशनभोगियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामलों को निपटाने वाले अधिकारियों को समय-समय पर जागरूक किया जाता है तथा प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, शीघ्र और प्रभावशाली बनाया जा सके।

*****